

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर बून्दी (राज०)
पीठासीन अधिकारी- श्री राजेश जोशी
आर.ए.एस.

मिसल संख्या:	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
156 / प्रा.पत्र / 2017	13.04.2017	19.09.2019

सरकार जरिये तहसीलदार हिण्डोली, जिला बून्दी।

- प्रार्थी

बनाम

कैलाश, रामानन्द, सत्यनारायण पि. लोडक्या व कन्या बाई पत्नी लोडक्या
जाति धाकड, निवासी ग्राम भवानीपुरा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी।
- अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 (4) राजस्थान भू-राजस्व कृषि
प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1970 आवंटन दिनांक 09.10.1977
निरस्त करने बाबत।

उपस्थित :-

प्रार्थी की ओर से - परोकार सरकार।

अप्रार्थीगण की ओर से - श्री पदम कासलीवाल, अभिभाषक।

-: निर्णय :-

यह प्रार्थना पत्र प्रार्थी ने अप्रार्थीगण के पिता लोडक्या आ. फूल
जी जाति धाकड निवासी ग्राम भवानीपुरा को कृषि प्रयोजनार्थ किये गये
भूमि आवंटन ख.नं. 16 रकबा 04 बीघा को निरस्त करवाने हेतु प्रार्थना
पत्र इस न्यायालय में पेश किया गया है।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण व
अधीनस्थ न्यायालय की आवंटन पत्रावली तलब की गई।

बहस उभयपक्ष सुनी गई।


परोकार सरकार ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों
को दोहराते हुये तर्क प्रस्तुत किये कि अप्रार्थीगण के पिता लोडक्या आ.
फूल जी को ग्राम भवानीपुरा में ख. नं. 16 रकबा 04 बीघा भूमि दिनांक
09.10.1977 को आवंटन की गई थी। उक्त भूमि वर्तमान में राजस्व
रेकार्ड में आवंटी के वारिसान के नाम गैरखातेदारी दर्ज है। उक्त भूमि
पर आवंटी व उसके वारिसान का कब्जा काशत नहीं होकर अन्य का
कब्जा काशत है। आवंटी द्वारा आवंटन शर्तों की पालना नहीं की गई है।
आवंटन निरस्त फरमाया जावे।

अति० जिला कलक्टर
बून्दी (राज०)

अप्रार्थीगण अभिभाषक ने बहस के दौरान तर्क प्रस्तुत किये कि अप्रार्थीगण के पिता को उक्त विवादित भूमि आवंटन सलाहकार समिति द्वारा पूर्ण कोरम में बाद जांच करके दिनांक 09.10.1977 को आवंटन की गई थी। आवंटन के पश्चात आवंटी को कब्जा संभलाकर गैरखातेदारी दर्ज की गई है। आवंटी की मृत्यु होने पर उक्त विवादित भूमि आवंटी के वारिसान के नाम गैरखातेदारी दर्ज की गई है। यह प्रार्थना पत्र तहसीलदार ने पटवारी की झूठी रिपोर्ट के आधार पर पेश किया गया है। रिपोर्ट का तहसीलदार द्वारा या भूअभिलेख निरीक्षक द्वारा भी भौतिक रूप से सत्यापन नहीं करवाया गया है। अन्य व्यक्ति का कब्जा किस आधार पर लिखा गया है। कोई राजस्व रेकार्ड की नकले या दस्तावेज पेश नहीं किये गये है मात्र पटवारी की रिपोर्ट के अनुसार अन्य का कब्जा काश्त नहीं माना जा सकता। अप्रार्थीगण के पिता को आवंटन हुये करीब 43 वर्ष हो चुके है। 43 वर्ष बाद आवंटन खारिज की कार्यवाही चलने योग्य नहीं है। अप्रार्थीगण के पिता को आवंटन सलाहकार समिति द्वारा पूर्ण कोरम में आवंटन किया गया है। उसके पश्चात आवंटी को गैरखातेदारी दी गई है। अप्रार्थीगण के अभिभाषक ने अपनी बहस के समर्थन में आर.आर.डी. 2014 पेज 740, आर.आर.डी. 2002 पेज 01, आर.आर.डी. 2001 पेज 126, आर.आर.डी. 2003 पेज 237, आर.आर.डी. 1996 पेज 500, आर.आर.डी. 2007 पेज 161, आर.आर.डी. 1995 पेज 234 की नजीरे पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र तथ्यहीन, सारहीन होने से खारिज योग्य है। प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस उभयपक्ष पर मनन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की आवंटन पत्रावली के अवलोकन से जाहिर है कि अप्रार्थीगण के पिता लोडक्या आ. फुल जी को ग्राम भवानीपुरा में खसरा नं. 16 रकबा 04 बीघा भूमि का आवंटन सलाहकार समिति द्वारा दिनांक 09.10.1970 को कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन किया गया था। आवंटन के समय आवंटन आवेदन पत्र पर रिपोर्ट पटवारी के अनुसार आवंटित भूमि पर लोडक्या ट्रेसफासर था। आवंटन के पश्चात बाद जांच तहसीलदार द्वारा आवंटी को गैरखातेदारी दी गई है। आवंटी की मृत्यु के उपरान्त आवंटी के वारिसान के नाम भूमि गैरखातेदारी जरिये नामा. दर्ज की गई है। प्रार्थी ने अन्य का कब्जा काश्त मानकर आवंटन निरस्त करने की कार्यवाही पेश की गई है लेकिन अन्य व्यक्ति का कब्जा काश्त होने बाबत कोई दस्तावेज राजस्व रेकार्ड पेश नहीं किया गया है। जिससे अन्य का कब्जा काश्त साबित होता हो। यदि अन्य व्यक्ति का विवादित भूमि पर कब्जा हो तब भी उसकी हैसियत मात्र अतिक्रमी की बनती है तथा अतिक्रमी को भूमि पर कोई अधिकार प्राप्त नहीं होते है। आवंटी के आवंटन के विरुद्ध कार्यवाही निरस्त करने बाबत 43 वर्ष बाद पेश किया जाना युक्तियुक्त नहीं है। अप्रार्थीगण के पिता लोडक्या को दिनांक 09.10.1977 को आवंटन सलाहकार समिति द्वारा आवंटन विधिपूर्ण तरीके से किया गया है तथा वक्त आवंटन आवंटी ही ट्रेसफासर दर्ज था। अन्य व्यक्ति का कब्जा काश्त होने बाबत भी कोई दस्तावेज राजस्व रेकार्ड प्रार्थी ने पेश नहीं किया है। जिससे आवंटी के

अलावा अन्य का कब्जा काशत साबित होता हो। परिणामस्वरूप प्रार्थना पत्र प्रार्थी खारिज किया जाता है तथा अप्रार्थीगण के पिता लोडक्या को किया गया आवंटन दिनांक 09.10.1977 यथावत रखा जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो। आदेश आज दिनांक 19.09.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।


(राजेश जोशी R.A.S.)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
बून्दी (राज0)